अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
बाल अधिकारिता विभाग

20/198, कावेरी पथ, सेक्टर–2, मानसरोवर, जयपुर

क्रमांक : एफ20(9)(2)( )बाअवि/किन्याअ/पत्राचार/2020/ 60693

जयपुर, दिनांक: 09/3/2023

परिपत्र

विषयः– अनाथ एवं देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं के सम्पत्ति में उत्तराधिकार/विधिक अधिकारों के संरक्षण के संबंध में दिशा–निर्देश बाबत्।

प्रसंगः– माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुओ–मोटो (सिविल) रिट पीटीशन संख्या 04/2020 में दिनांक 04.04.2022 को पारित आदेश के क्रम में।

संदर्भः– 1. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या–2, उदयपुर के सैशन प्रकरण संख्या 38/2017 राज्य बनाम मोहन लाल में दिनांक 12.02.2020 को पारित आदेश।

2. कोविड महामारी से प्रभावित बच्चों के पुनर्वास एवं विधिक अधिकारों के संरक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 27.05.2021 ।

उपरोक्त प्रासंगिक विषयान्तर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोविड महामारी के दौरान विभिन्न कारणो से अनाथ, परित्यक्त एवं एकल अभिभावक के बालक/बालिकाओं की सम्पत्ति के संरक्षण तथा बीमा एवं कर्ज के कारण सम्पत्ति के खतरे को दृष्टिगत रखते हुये जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला बाल संरक्षण इकाई को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से समुचित कार्यवाही करने के निर्देश दिये है।

संदर्भित प्रकरण में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या–2, उदयपुर द्वारा पारित आदेश में नाबालिग अनाथ बालकों (देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक) के सिविल एवं साम्पातिक अधिकारों के संरक्षण के संबंध में राज्य सरकार को समुचित विधिक उपबंध किये जाने के निर्देश दिये है।

भारत सरकार द्वारा लागू एच.आई.वी. एड्स (रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 2017 के तहत एच.आई.वी. एड्स से ग्रसित एवं प्रभावित बालकों के साम्पातिक अधिकारों के संरक्षण के संबंध में आवश्यक प्रावधान किये गये है। अधिनियम के अन्तर्गत एच.आई.वी. एड्स से ग्रसित एवं प्रभावित बालकों के सम्पत्ति के संरक्षण संबधी दस्तावेज अथवा बेदखल किए गए अथवा वास्तविक बेदखल होने वाले बालक अथवा सम्पत्ति के अतिक्रमण से जुड़े शिकायतो के विचारण की शक्तियां बाल कल्याण समिति को दी गई है।

Scanned with OKEN Scanner

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत अनाथ, परित्यक्त और समर्पित बालक/बालिकाओं जिन्हें दत्तक ग्रहण में दिया गया है कि सम्पत्ति के संरक्षण के संबंध में आवश्यक प्रावधान किये गये है।

विगत समय में किशोर न्याय व्यवस्था के सम्पर्क में आने वाले देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं के सिविल अधिकारों मुख्यतः बच्चों की पैतृक सम्पत्ति के संरक्षण से जुड़े विभिन्न प्रकरण बाल कल्याण समितियों के संज्ञान में आये है।

उक्त परिपेक्ष्य में ऐसे बालक–बालिकाओं के सम्पत्ति में उत्तराधिकार/विधिक अधिकारों को संरक्षित हेतु बाल कल्याण समितियों हेतु निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किये जाते है–

1. बाल कल्याण समिति द्वारा स्व–विवेक अथवा बालक/बालिका की सम्पत्ति के संरक्षण के सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर संज्ञान लिया जाकर यथोचित कार्यवाही प्रारंभ की जा सकेगी।
2. जिला बाल संरक्षण इकाई/बाल देखरेख संस्थान के माध्यम से बालक/बालिका की किसी पैतृक सम्पत्ति अथवा माता–पिता द्वारा अर्जित अथवा अन्य माध्यम से अर्जित/दान स्वरूप प्राप्त सम्पत्ति की जानकारी प्राप्त की जायेगी।
3. बालक/बालिका की परिस्थिति अनुरूप गार्जियन एण्ड वार्ड्स एक्ट, 1890 अथवा अन्य विधियों के तहत संरक्षक नियुक्त कराने की कार्यवाही सम्पादित कराई जायेगी।
4. बालक/बालिका की परिस्थिति अनुरूप उनके उत्तराधिकारों को संरक्षित रखने के लिये सक्षम न्यायालय के माध्यम से उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र जारी कराने की कार्यवाही सम्पादित कराई जायेगी।
5. बालक/बालिका की सम्पत्ति पर किसी प्रकार का अतिक्रमण ना हो इस प्रयोजन जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
6. बालक/बालिका को उनकी सम्पत्ति से बेदखल करने अथवा उनकी सम्पत्ति पर किसी प्रकार का अतिक्रमण होने अथवा बीमा एवं कर्ज के कारण सम्पत्ति के खतरे की स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से अपेक्षित विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
7. कृषि भूमि से जुड़ी सम्पत्ति में हिस्सेदारी को संरक्षित रखने के लिये संबंधित ग्राम पंचायत/तहसीलदार के माध्यम से बालक/बालिका के नाम से नामांतरण खुलवाने की कार्यवाही की जायेगी।
8. आवासीय भूमि/भवन से संबंधित पट्टा विलेख में बालक/बालिका का नाम संबंधित ग्राम विकास अधिकारी/तहसीलदार अथवा नगर पालिका/नगर निगम अथवा विकास प्राधिकरण/यू.आई.टी. के माध्यम से दर्ज कराने की कार्यवाही की जायेगी।
9. बालक/बालिका के हक अधिकार घोषणा अथवा अन्य सम्पत्ति के प्रकरण में वाद दायर करने अथवा न्यायालय में लंबित विवाद अथवा कोई विवाद होने की स्थिति में उन्हें विधिक पैरवी हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाई जायेगी।
10. जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से बालक/बालिका की सम्पत्ति से जुड़े रिकॉर्ड/दस्तावेजों को सुव्यवस्थित रूप से संधारित किया जायेगा। इस संबंध में पृथक से रजिस्टर भी संधारित किया जायेगा।
11. बालक/बालिका के सम्पत्ति संबंधी दस्तावेजों का विवरण संबंधित प्रकरण पत्रावली का हिस्सा बनाया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

12. यदि बालक/बालिका के प्रकरण में सक्षम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को विधिक संरक्षक नियुक्त किया गया है, तो विधिक संरक्षक के साथ उसकी सम्पत्ति संबंधी जानकारी साझा की जायेगी।
13. बालक/बालिका के दत्तक ग्रहण की स्थिति भावी दत्तक ग्राही को उसकी सम्पत्ति के बारे में अवगत कराया जायेगा तथा संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराये जायेंगे।
14. बालक/बालिका के 18 वर्ष पूर्ण होने पर सम्पत्ति से जुडे रिकॉर्ड/दस्तावेज उपलब्ध कराये जायेंगे।
15. बालक/बालिका के उत्तराधिकार एवं विधिक अधिकारों के संरक्षण हेतु आवश्यक दस्तावेजों का निर्माण कराया जायेगा, जिनमें माता/पिता/संरक्षक का मृत्यु प्रमाण–पत्र, बच्चों के व्यक्तिगत पहचान संबंधी प्रमाण–पत्र/दस्तावेज इत्यादि शामिल है।

अतः उपरोक्त दिशा–निर्देशों के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(अनुप्रेरणा सिंह कुंतल)
आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव

क्रमांक : एफ20(9)(2)( )बाअवि/किन्याअ/पत्राचार/2020/60694–61660 जयपुर, दिनांक: 9-3-2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदया, बाल अधिकारिता विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, बाल अधिकारिता विभाग, राजस्थान।
3. निजी सचिव, निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान।
4. निजी सचिव, निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान।
5. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान।
6. निजी सचिव, रजिस्ट्रार, राजस्व मण्डल, अजमेर।
7. निजी सचिव, जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर समस्त।
8. निजी सचिव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
9. अध्यक्ष/सदस्यगण, बाल कल्याण समिति समस्त।
10. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त।
11. तहसीलदार, तहसील समस्त।
12. सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग समस्त।
13. अधीक्षक/प्रभारी–राजकीय/गैर राजकीय बाल देखरेख संस्थान समस्त।
14. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक

Scanned with OKEN Scanner